भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2612

जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

सरकारी योजनाओं में निजी क्षेत्र के बैंकों की भागीदारी

2612. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जैसी सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र के और अधिक बैंकों को शामिल करने तथा एसईआरपी और एमईपीएमए के अंतर्गत स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) को वित्तीय सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों को इन योजनाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई दिशानिर्देश या निदेश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं कि निजी क्षेत्र के बैंक विशेषकर ग्रामीण और सुविधा रहित क्षेत्रों में इन योजनाओं के लाभार्थियों को समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराएं; और

(घ) क्या इन सरकारी योजनाओं में निजी क्षेत्र के बैंकों को शामिल करने में कोई चुनौतियां हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इन चुनौतियों से निपटने और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): भारत सरकार 7% प्रति वर्ष की दर पर 3 लाख रुपय तक के अल्पावधिक कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराने के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) के अंतर्गत निजी क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण और अर्द्धशहरी शाखाओं सहित बैंकों को 1.5% की ब्याज सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, ऋणों के समय पर पुनर्भुगतान के लिए किसानों को 3% का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है। इस प्रकार, किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 4% रह जाता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने केसीसी के माध्यम से लिये जाने वाले ऋणों के लिए एमआईएसएस के अंतर्गत ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किये जाने की घोषणा की है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के संबंध में बैंकों को समय-समय पर कई अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन निदेशों के प्रावधान निजी क्षेत्र के बैंकों सहित प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक पर लागू हैं। बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत लक्ष्यों तथा उपलक्ष्यों को पूरा करना अपेक्षित है। इस प्रकार, निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि ऋण (कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप), कृषि अवसंरचना तथा सहायक क्रियाकलाप सहित कृषि क्षेत्र हेतु उधार आरबीआई के निर्देशों के अध्यधीन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के तहत पात्र हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय सेवाओं के लाभ समाज के गरीब से गरीब तथा सीमांत वर्गों तक पहुंचे, सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं में सभी बैंकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। निजी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन की समय-समय पर विभिन्न सरकारी पहल तथा योजनाओं के मैट्रिक्स के आधार पर समीक्षा की जाती है और इसका उपयोग सरकारी व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों हेतु मानदण्डों के रूप में की जाती है।

******